Media Coordinator's Office

Jamia Millia Islamia

October 24, 2016

Press Release

Prof. Faizan Mustafa addresses packed audience at JMI talks about Haji Ali Dargah verdict

Observing that there has been inconsistency in the use of judicially invented 'essentiality test' noted legal expert and Vice Chancellor of Hyderabad based NALSAR University of Law, Prof. Faizan Mustafa today said that this has proved to be the biggest deterrent to freedom of religion in India.

The judiciary was wrong in privileging certain religious practices over others and there have been inconsistencies in the use of judicially invented 'essentiality test', Prof. Mustafa said delivering a lecture on "Freedom of Religion, Secularism and "Haji Ali" Verdict organized by the Faculty of Law, Jamia Millia Islamia (JMI) here.

"Essential practices' of religions in the past have been decided without any reference to the scriptures and dogmas of concerned religions but on the basis of earlier judicial decisions. The essential practices test has proved to be the biggest deterrent to freedom of religion in India. It does not have any constitutional basis. The Constitution of India provides protection to religion as a whole subject to restrictions and not just to essential elements of a religion", he said.

Discussing how Supreme Court of India over a period of time has interpreted religion and its essential features, he told a packed audience of students and faculty members that the "essential practice test of a religion" evolved by the Apex Court was 'unconstitutional and does not promote secularism'.

He said that the whole concept of providing constitutional protection only to those elements of a religion that the court considers 'essential' is problematic.

Talking about the Bombay High Court order allowing women to enter into the Haji Ali Dargah, he said that the verdict is correct but the reasons provided for it were flawed. He said that how can writ petition filed against a Trust and how the case was incorrectly argued before the High Court.

Earlier, Prof. Nuzhat Parveen Khan, Dean, Faculty of Law, JMI welcomed Prof. Faizan Mustafa on behalf of Vice Chancellor, Prof. Talat Ahmad who could not attend the lecture due to his preoccupation.

Prof. Saima Saeed

Hony. Deputy Media Coordinator

प्रेस विज्ञप्ति

प्रो. फैज़ान मुस्तफ़ा ने हाजी अली दरगाह फैसले के बारे में जामिइ में श्रोताओं को संबोधित किया

यह मानते हुए कि न्यायिक रुप में 'इसेन्शिएलिटी टेस्ट' के प्रयोग में विसंगतियाँ हैं, प्रख़्यात कानून विशेषज्ञ और हैदराबाद स्थित नलसार विधि विश्वविद्यालय के कुलपित, प्रो. फैज़ान मुस्तफ़ा ने कहा कि आज यह भारत में धर्म की स्वतंत्रता के लिए सबसे बड़ी बाधा साबित हुई है।

न्यायपालिका का कुछ धार्मिक प्रथाओं के विशषाधिकार में दखल देना गलत था और ऐसा करना न्यायिक रुप में 'इसेन्शिएलिटी टेस्ट' के प्रयोग में विसंगति हैं। प्रो. मुस्तफ़ा 'धार्मिक स्वतंत्रता, धर्मिनरपेक्षता और हाजी अली फैसला' पर जामिया मिल्लिया इस्लामिया के विधि संकाय द्वारा आयोजित कार्यक्रम में वक्तव्य दे रहे थे।

अतीत में धर्मों की 'मौलिक प्रथाएं' शास्त्रों और नीतियों में वर्णित किसी भी संदर्भ के बिना ही पहले के न्यायिक निर्णय के आधार पर तय कर दी जाती थीं। मौलिक प्रथाओं का परीक्षण, भारत में धर्म की स्वतंत्रता के लिए सबसे बड़ी बाधा साबित हुआ है। इसका कोई संवैधानिक आधार नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान पूर्णता में किसी धर्म को प्रतिबंधों के अधीन सुरक्षा उपलब्ध कराता है न कि सिर्फ एक धर्म के आवश्यक तत्वों के रुप में।

बड़ी संख्या में उपस्थित छात्रों और संकाय सदस्यों से चर्चा करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा इस समय धर्म और उसकी आवश्यक विशेषताओं की व्याख्या की गई है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा 'इसेन्शियल प्रैक्टिस टेस्ट ऑफ ए रिलिजियन' को विकसित किया जाना 'असंवैधानिक और धर्मनिरपेक्षता में बाधक है।'

उन्होंने कहा कि केवल एक धर्म के उन तत्वों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करने की पूरी अवधारणा जिन्हें अदालत 'आवश्यक' मानती है, एक बड़ी समस्या है।

महिलाओं को हाजी अली दरगाह में प्रवेश करने की अनुमित संबंधी मुम्बई उच्च न्यायालय के आदेश के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि फैसला सही है, लेकिन इसके लिए बताए गए कारण त्रुटिपूर्ण थे। उन्होंने कहा कि कैसे एक विश्वास के मामले के खिलाफ रिट याचिका दायर कर सकते हैं और कैसे मामले में गलत तरीके से उच्च न्यायालय के सामने तर्क दिए गए थे।

इससे पहले, प्रो. नुज़हत परवीन ख़ान, डीन, विधि संकाय, जामिइ ने कुलपति, प्रोफ़ेसर तलत अहमद की ओर से, जो अपने पूर्व व्यस्त कार्यक्रम के कारण व्याख्यान में भाग नहीं सके, प्रो. फैज़ान मुस्तफा का स्वागत किया।

प्रो साइमा सईद मानद उप मीडिया समन्वयक





